एक आम आदमी का पधानमंत्री को पत्र

भारत के माननीय प्रधानमंत्री,

मैं भारत का आम नागरिक मतदाता हूँ. मैं चाहता हूँ कि मेरे और मेरे साथी मतदाताओं के विधायकों के कानूनों पर हाँ / नहीं पर ध्यान दिया जाना चाहिए और आपकी वेबसाइट पर आ जाना चाहिए. और अगर कोई स्त्री, दलित, किसान, या गरीब नागरिक मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों, पुलिस आदि के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी शिकायतों या हलफनामों को डालने की इच्छुक हो तो भी आपकी वेबसाइट पर आना चाहिए. यदि आप हमारे अपने शिकायतों को डालने का भी विरोध करते हैं ,तो उससे मुझे विश्वास होगा कि आप हमारी आवाज दबाना चाहते हैं. मुझे आशा है कि ऐसा मामला नहीं है, और इसलिए आप नागरिक की आपकी वेबसाइट पर अपनी शिकायत डालने की मांग का विरोध नहीं करेंगे.

इसलिए मैं आपसे अगले 7 दिनों के भीतर निम्नलिखित सरकार के आदेश पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध करता हूँ.

#	अधिकारी	प्रक्रिया
1.	कलेक्टर (और उसके क्लर्क)	अगर कोई भी **महिला** मतदाता, दलित मतदाता, गरीब मतदाता, वृद्ध मतदाता, **मजदूर** मतदाता, किसान मतदाता या कोइभी **नागरिक** मतदाता यदि खुद हाजिर होकर यदि अपनी **सूचना अधिकार की** अर्जी या भ्रष्टाचार के खिलाफ **शिकायत** या कोईभी **हलफनामा** देता है तो कोईभी दलील बिना कलेक्टर (या उसका क्लार्क) उस **हलफनामा** को प्रति पेज रु २०/- लेकर सीरीयल नंबर दे कर प्रधानमंत्री के वेबसाइट पर रखेगा।
2.	पटवारी (तलाटी, लेखपाल)	अगर कोई भी **महिला** मतदाता, दलित मतदाता या गरीब मतदाता, वृद्ध मतदाता, **मजदूर** मतदाता, किसान मतदाता या कोई भी **नागरिक** मतदाता यदि कलम-१ द्वारा दी गई अर्जी, **शिकायत** या कोई भी **हलफनामा** पर अपनी हाँ या ना दर्ज कराने मतदाता कार्ड लेकर आये, रु ३ फी दे, तो पटवारी **नागरिक** का मतदाता नंबर, नाम, उसकी हां या ना कोम्प्युटर **में** प्रधानमंत्री के वेबसाइट पर दर्ज कर लेगा **और रु ३ की रसीद दे देगा** । पटवारी **नागरिक** को रु ३ देकर हाँ/ना बदलने देगा। गरीबी रेखा से नीचे के **नागरिक** के लिये फी रु १ होगी।
3.	----------	यह हाँ /ना अधिकारी, मंत्री, न्यायाधीश, सांसद, विधायक आदि पर **बाध्य** नहीं होगी। **लेकिन** यदी भारतके ३७ **करोड़ महिला** मतदाता, दलित मतदाता, वृद्ध मतदाता,**मजदूर** मतदाता, किसान मतदाता या कोइ भी ३७ **करोड़ नागरिक** मतदाता कोई एक अर्जी, **शिकायत हलफनामा** पर हां दर्ज करें तो प्रधानमंत्री उस अर्जी, **शिकायत हलफनामा** पर ध्यान दे सकतें हैं या नहीं दे सकते, या इस्तीफा दे **सकते हैं या नहीं दे सकते हैं** । उनका निर्णय अंतीम होगा।

मैं आपसे भिंती करता हूँ कि हम आम नागरिकों को को शीग्रतम सूचित करें यदि आप इस सरकारी आदेश को हस्ताक्षर करने का नियत रखते हैं|

भवदीय,

नाम: _____

पता: _____

मतदाता कार्ड नंबर: _____

(पत्र लेखक के लिए निर्देश: कृपया इस याचिका भी पर हस्ताक्षर करें-

http://www.petitiononline.com/rti2en/)

एक आम आदमी का मुख्यमंत्री को पत्र

प्रिय _____ के माननीय मुख्यमंत्री,

मैं भारत का आम नागरिक मतदाता _____ का रहने वाला हूँ. मैं चाहता हूँ कि मेरे और मेरे साथी मतदाताओं के विधायकों के कानूनों पर हाँ / नहीं पर ध्यान दिया जाना चाहिए और आपकी वेबसाइट पर आ जाना चाहिए. और अगर कोई स्त्री, दलित, किसान, या गरीब नागरिक मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों, पुलिस आदि के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी शिकायतों या हलफनामों को डालने की इच्छुक हो तो भी आपकी वेबसाइट पर आना चाहिए. यदि आप हमारे अपने शिकायतों को डालने का भी विरोध करते हैं ,तो उससे मुझे विश्वास होगा कि आप हमारी आवाज दबाना चाहते हैं. मुझे आशा है कि ऐसा मामला नहीं है, और इसलिए आप नागरिक की आपकी वेबसाइट पर अपनी शिकायत डालने की मांग का विरोध नहीं करेंगे.

इसलिए मैं आपसे अगले 7 दिनों के भीतर निम्नलिखित सरकार के आदेश पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध करता हूँ.

#	अधिकारी	प्रक्रिया
1.	कलेक्टर (और उसके क्लर्क)	अगर कोई भी **महिला** मतदाता, दलित मतदाता, गरीब मतदाता, वृद्ध मतदाता, **मजदूर** मतदाता, किसान मतदाता या कोइ भी **नागरिक** मतदाता यदि खुद हाजिर होकर यदि अपनी **सूचना अधिकार की** अर्जी या भ्रष्टाचारके खिलाफ **शिकायत** या कोई भी **हलफनामा** देता है तो कोई भी दलील बिना कलेक्टर (या उसका क्लार्क) उस **हलफनामा** को प्रति पेज रु २०/- लेकर सीरीयल नंबर दे कर **मुख्यमंत्री** के वेबसाइट पर रखेगा।
2.	पटवारी (तलाटी, लेखपाल)	अगर कोई भी **महिला** मतदाता, दलित मतदाता या गरीब मतदाता, वृद्ध मतदाता, **मजदूर** मतदाता, किसान मतदाता या कोइ भी **नागरिक** मतदाता यदि कलम-१ द्वारा दी गई अर्जी, **शिकायत** या कोई भी **हलफनामा** पर अपनी हाँ या ना दर्ज कराने मतदाता कार्ड लेकर आये, रु ३ फी दे, तो पटवारी **नागरिक** का मतदाता नंबर, नाम, उसकी हां या ना कोम्प्युटर में **मुख्यमंत्री** के वेबसाइट पर दर्ज कर लेगा **और रु ३ की रसीद दे देगा** । पटवारी **नागरिक** को रु ३ देकर हाँ/ना बदलने देगा। गरीबी रेखा से नीचे के **नागरिक** के लिये फी रु १ होगी।
3.	----------	यह हाँ /ना अधिकारी, मंत्री, न्यायाधीश, सांसद, विधायक आदि पर **बाध्य** नहीं होगी। **लेकिन** यदी भारतके ३७ **करोड़ महिला** मतदाता, दलित मतदाता, वृद्ध मतदाता, **मजदूर** मतदाता, किसान मतदाता या कोइ भी ३७ **करोड़ नागरिक** मतदाता कोई एक अर्जी, **शिकायत** या कोई भी **हलफनामा** पर हां दर्ज करें तो **मुख्यमंत्री** उस **शिकायत** ,अर्जी **हलफनामा** पर ध्यान दे सकतें हैं या नहीं दे सकते, या इस्तीफा दे **सकते हैं या नहीं दे सकते हैं** । उनका निर्णय अंतीम होगा।

मैं आपसे भिंती करता हूँ कि हम आम नागरिकों को शीग्रतम सूचित करें यदि आप इस सरकारी आदेश को हस्ताक्षर करने का नियत रखते हैं|

भवदीय,

नाम: _____

पता: _____

मतदाता कार्ड नंबर: _____

(पत्र लेखक के लिए निर्देश: कृपया इस याचिका भी पर हस्ताक्षर करें-

http://www.petitiononline.com/rti2en/)